न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

अपील नम्बर:—2/2019 अपील

1. विनोद कुमार पिता लक्ष्मीलाल नुवाल, उम्र बालिग निवासी निवासी किशोर नगर बापूनगर हाल मुकाम 10—बी—21 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2. कैलाश चन्द्र पिता रामस्वरूप कोठारी, उम्र बालिग निवासी बड़े मंदिर के पास, ...नेर—भीलवाड़ा हाल मुकाम महावीर हॉस्पीटल से केशव हॉस्पीटल रोड़, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा (राजस्थान) ————अपीलार्थीगण

बनाम

ग्राम पंचायत पालड़ी जरिये सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) —————रेस्पोडेंट

———————

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1809 ग्राम पंचायत पालड़ी
निर्णय दिनांक 22.7.2010

————————————————————————

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

————————————————————————

उपस्थित:-

श्री कैलाश चन्द्र काष्ट, — एडवोकेट—अपीलार्थीगण

:: नि र्ण य :: दिनांक:—22.3.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक अपील ...र्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत रेस्पोडेंट के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन ...है कि ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ...संख्या 2074 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 2079 रकबा 9 बिस्वा, 2080 रकबा 5 ... 2083 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा स्थित हैं। जिसका ...डेंट ग्राम पंचायत पालड़ी द्वारा अपनी पंचायत कोरम में दिनांक 22.7.2010 को ...रण संख्या 1809 को स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजियात का नामान्तरण ...र्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में 1/2—1/2 हिस्से में गलत तौर पर अंकित किया ...जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत हैं। प्रकरण के ...स्विक तथ्य इस प्रकार है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात गोपी पिता कालू ...के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात को ...पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2010 से अपीलार्थीगण ने गोपी पिता कालू गूजर ...खरीद की जो कि विक्रय पत्र दिनांक 14.7.2010 से पंजीकृत किया हुआ हैं। उक्त ...य पत्र के अनुसार खरीदशुदा आराजियात में अपीलार्थीगण संख्या 1 ने 2/3 हिस्सा ...अपीलार्थीगण संख्या 2 ने 1/3 हिस्सा खरीद किया हैं। इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा ...आदेश दिनांक 22.7.2010 से अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के ...त होने से काबिल निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से यह

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ील प्रस्तुत हैं। पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2010 ीकरण दिनांक 14.7.2010 के अनुकरण में अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में 2/3 हिस्सा अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में 1/3 हिस्सा नामान्तरित किया जाना चाहिये था। किन्तु पोडेंट द्वारा गलत तौर पर उक्त आराजियात का अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में /2-1/2 हिस्सा अंकित कर दिया । इस कारण रेस्पोडेंट द्वारा पारित इंतकाल नम्बर 09 को निरस्त किया जाकर पुनः पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का नामान्तरण ीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में 2/3 हस्सा एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में 1/3 स्सा अंकित किया जाना निहायत आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। अपीलार्थीगण को हाल में दिनांक 19.12.2018 को पटवारी से नामान्तरण की नकल प्राप्त करने पर उक्त ान्तरण की जानकारी हुई हैं। दिनांक 22.7.2010 से यह अपील प्रस्तुत कराने तक की यावधि को कण्डोन कराने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से तुत हैं। अपीलार्थीगण को नामान्तरण आदेश 22.10.2018 तथा प्रमाणित प्रति दिनांक 12.2018 को प्राप्त होने से अंदर अवधि यह अपील प्रस्तुत हैं। अतः अपीलार्थीगण की ील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा द्वारा पैरा ख्या 1 में वर्णित आराजियात के इंतकाल संख्या 1809 ग्राम पंचायत की कोरम आदेश ांक 22.7.2010 को निरस्त फरमा प्रत्यर्थी को आदेशित किया जावे कि पैरा संख्या 1 वर्णित आराजियात का नामान्तरण अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में 2/3 हिस्सा तथा ीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में 1/3 हिस्सा नामान्तरित किया जावें।

अपीलार्थीगण की अपील दिनांक 4.1.2019 कां पंजीबद्व किया जाकर रिये सम्मन रेस्पोडेंट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट का सम्मन बाद तामिल प्राप्त ा। जिसे शामिल पत्रावली किया । रेस्पोडेंट को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे ाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक फा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील अपीलार्थीगण ने अपील के समर्थन स्वयं का शपथ-पत्र, क्य पत्र की प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति, इंतकाल नम्बर 1809 की सही प्रतिलिपि, प्रस्तुत । जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील अपीलार्थीगण द्वारा और कोई दस्तावेज तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त किया ा।

वकील अपीलार्थीगण ने एक बहस करनी चाही। वकील ीलार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील अपीलार्थीगण ने ील में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार माई जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एक तरफा बहस पर मनन या गया। ग्राम पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं0 2074 रकबा बीघा 5 बिस्वा, 2079 रकबा 9 बिस्वा, 2080 रकबा 5 बिस्वा, 2083 रकबा 15 बिस्वा ल किता 4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि गोपी पिता कालू गूजर साकिन देह के नाम ें रिकार्ड थी। गोपी पिता कालू गूजर ने अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

ा बिकाव जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 14.7.2010 को किया गया। क्रय पत्र के अनुसार विवादित आराजियात को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने बाबत र्थना पत्र रेस्पोडेंट के यहॉ प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार इंतकाल दिनांक 22.7.2010 को निर्णित किया गया। किन्तु निर्णित इंतकाल नांक 22.7.2010 में विक्रय पत्र के अनुसार हिस्सा दर्ज नहीं कर अपनी मन मर्जी से स्सा दर्ज कर दिया गया। विक्रय पत्र में अपीलार्थी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा व ीलार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है उसी हिस्से अनुसार इंतकाल निर्णित होना हिये, तथा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिये। जिसकी ताईद प्रस्तुत क्रय पत्र की प्रंमाणित फोटो स्टेट व सही प्रतिलिपि से होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार या जाना उचित समझती हूॅ, अतः

:: आ दे श ::

अपीलार्थीगण की अपील न्याय हित में स्वीकार की जाकर ग्राम पालड़ी ार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में रेस्पोडेंट द्वारा निर्णित इंतकाल या 1809 दिनांक 22.7.2010 को निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, वाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थीगण के पक्ष में य पत्र के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में 2/3 हिस्सा व अपीलार्थी संख्या 2 क्ष में 1/3 हिस्सा के अनुसार नामान्तरित किया जावें। उसी अनुसार पालना करें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

आज दिनांक 22.3.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner